

commencement, shall be governed by the provisions of the said Ordinance and the Act and the Rules made thereunder.

अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

### SCHEDULE I (अनुसूची I)

#### Ad valorem Fees (मूल्यानुसार फीस)

Article अनुच्छेद	Particulars विशिष्टियाँ	Proper Fees समुचित फीस
<sup>1</sup> [1.	Plaint or written statement pleading a set-off or counter-claim or memorandum of appeal presented to any Court—	
<sup>१</sup> [1.	किसी न्यायालय को प्रस्तुत वाद-पत्र या मुजरई या प्रतिदावे का अभिवचन करने वाला लिखित कथन या अपील का ज्ञापन—	
(i)	When the amount or value of the subject matter in dispute does not exceed rupees 15,000	2½ per cent of the amount or value
(i)	जब रकम या विवादग्रस्त विषय-वस्तु का मूल्य 15,000 रुपये से अधिक न हो	रकम या मूल्य का 2½ प्रतिशत
(ii)	When the amount or value exceeds rupees 15,000 but does not exceed rupees 75,000	Rupees 375 plus 7½ per cent of the amount or value exceeding rupees 15,000
(ii)	जब रकम या मूल्य 15,000 रुपये से अधिक हो किन्तु 75,000 रुपये से अधिक न हो	375 रुपये और 15,000 रुपये से अधिक रकम या मूल्य का 7½ प्रतिशत
(iii)	When the amount or value exceeds rupees 75,000, but does not exceed rupees 2,50,000	Rupees 4,875 plus 7 per cent of the amount or value exceeding rupees 75,000
(iii)	जब रकम या मूल्य 75,000 रुपये से अधिक हो किन्तु 2,50,000 रुपये से अधिक न हो	4,875 रुपये और 75,000 रुपये से अधिक रकम या मूल्य का 7 प्रतिशत
(iv)	When the amount or value exceeds rupees 2,50,000, but does not exceed rupees 5,00,000	Rupees 17,125 plus 6½ per cent of the amount or value exceeding rupees 2,50,000
(iv)	जब रकम या मूल्य 2,50,000 रुपये से अधिक हो किन्तु 5,00,000 रुपये से अधिक न हो	17,125 रुपये और 2,50,000 रुपये से अधिक रकम या मूल्य का 6½ प्रतिशत
(v)	When the amount or value exceeds rupees 5,00,000, but does not exceed rupees 7,50,000	Rupees 33,775 plus 6 per cent of the amount or value exceeding rupees 5,00,000
(v)	जब रकम या मूल्य 5,00,000 रुपये से अधिक हो किन्तु 7,50,000 रुपये से अधिक न हो	33,775 रुपये और 5,00,000 रुपये से अधिक रकम या मूल्य का 6 प्रतिशत
(vi)	When the amount or value exceeds rupees 7,50,000, but does not exceed rupees 10,00,000	Rupees 48,375 plus 5½ per cent of the amount or value exceeding rupees 7,50,000

<sup>१</sup> Substituted by Rajasthan Finance Act, 2007 (4 of 2007.)

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 4) द्वारा प्रतिस्थापित।

- (vi) जब रकम या मूल्य 7,50,000 रुपये से अधिक हो किन्तु 10,00,000 रुपये से अधिक न हो 48,375 रुपये और 7,50,000 रुपये से अधिक रकम या मूल्य का 5% प्रतिशत
- (vii) When the amount or value exceeds rupees Rupees 62,125 plus 5 per cent of the amount or value exceeding rupees 10,00,000 10,00,000, but does not exceed rupees 15,00,000
- (vii) जब रकम या मूल्य 10,00,000 रुपये से अधिक हो किन्तु 15,00,000 रुपये से अधिक न हो 62,125 रुपये और 10,00,000 रुपये से अधिक रकम या मूल्य का 5 प्रतिशत
- (viii) When the amount or value exceeds rupees Rupees 87,125 plus 4½ per cent of the amount or value exceeding rupees 15,00,000 15,00,000 but does not exceed rupees 20,00,000
- (viii) जब रकम या मूल्य 15,00,000 रुपये से अधिक हो किन्तु 20,00,000 रुपये से अधिक न हो 87,125 रुपये और 15,00,000 रुपये से अधिक रकम या मूल्य का 4½ प्रतिशत
- (ix) When the amount or value exceeds rupees Rupees 1,09,625 plus 4 per cent of the amount or value exceeding rupees 20,00,000 20,00,000, but does not exceed rupees 25,00,000
- (ix) जब रकम या मूल्य 20,00,000 रुपये से अधिक हो किन्तु 25,00,000 रुपये से अधिक न हो 1,09,625 रुपये और 20,00,000 रुपये से अधिक रकम या मूल्य का 4 प्रतिशत
- (x) When the amount or value exceeds rupees Rupees 1,29,625 plus 3½ per cent of the amount or value exceeding rupees 25,00,000 25,00,000, but does not exceed rupees 30,00,000
- (x) जब रकम या मूल्य 25,00,000 रुपये से अधिक हो किन्तु 30,00,000 रुपये से अधिक न हो 1,29,625 रुपये और 25,00,000 रुपये से अधिक रकम या मूल्य का 3½ प्रतिशत
- (xi) When the amount or value exceeds rupees Rupees 1,47,125 plus 3 per cent of the amount or value exceeding rupees 30,00,000 30,00,000, but does not exceed rupees 40,00,000
- (xi) जब रकम या मूल्य 30,00,000 रुपये से अधिक हो किन्तु 40,00,000 रुपये से अधिक न हो 1,47,125 रुपये और 30,00,000 रुपये से अधिक रकम या मूल्य का 3 प्रतिशत
- (xii) When the amount or value exceeds rupees Rupees 1,77,125 plus 2½ per cent of the amount or value exceeding rupees 40,00,000 40,00,000, but does not exceed rupees 1,00,00,000
- (xii) जब रकम या मूल्य 40,00,000 रुपये से अधिक हो किन्तु 1,00,00,000 रुपये से अधिक न हो 1,77,125 रुपये और 40,00,000 रुपये से अधिक रकम या मूल्य का 2½ प्रतिशत
- (xiii) When the amount or value exceeds rupees Rupees 3,27,125 plus 2 per cent of the amount or value exceeding rupees 1,00,00,000 1,00,00,000, but does not exceed rupees 1,50,00,000
- (xiii) जब रकम या मूल्य 1,00,00,000 रुपये से अधिक हो किन्तु 1,50,00,000 रुपये से अधिक न हो 3,27,125 रुपये और 1,00,00,000 रुपये से अधिक रकम या मूल्य का 2 प्रतिशत
- (xiv) When the amount or value exceeds rupees Rupees 4,27,125 plus 1½ per cent of the amount or value exceeding rupees 1,50,00,000 1,50,00,000, but does not exceed rupees 2,00,00,000

- (xiv) जब रकम या मूल्य 1,50,00,000 रुपये से अधिक हो किन्तु 2,00,00,000 रुपये से अधिक न हो 4,27,125 रुपये और 1,50,00,000 रुपये से अधिक रकम या मूल्य का 1½ प्रतिशत
- (xv) When the amount or value exceeds rupees Rupees 5,02,125 plus 1 per cent of the amount or value exceeding rupees 2,00,00,000 2,00,00,000, but does not exceed rupees 3,00,00,000
- (xv) जब रकम या मूल्य 2,00,00,000 रुपये से अधिक हो किन्तु 3,00,00,000 रुपये से अधिक न हो 5,02,125 रुपये और 2,00,00,000 रुपये से अधिक रकम या मूल्य का 1 प्रतिशत
- (xvi) When the amount or value exceeds rupees Rupees 6,02,125 plus ½ per cent of the amount or value exceeding rupees 3,00,00,000 3,00,00,000
- (xvi) जब रकम या मूल्य 3,00,00,000 रुपये से अधिक हो 6,02,125 रुपये और 3,00,00,000 रुपये से अधिक रकम या मूल्य का ½ प्रतिशत
2. (a) Petition under section 26 of the Provincial An amount equal to one-half Insolvency Act, 1920 (Central Act 5 of 1920) as the fee at the scale prescribed adapted or extending to the State or application in article 1 on the amount or under section 95 of the Code of Civil Procedure, compensation claimed. 1908 (Central Act 5 of 1908).
2. (क) राज्य में क्या अनुकूलित या विस्तारित प्रांतीय दिवालता अधिनियम, 1920 (1920 का केंद्रीय अधिनियम 5) के अधीन अर्जी या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम 5) के बराबर रकम की धारा 95 के अधीन आवेदन
- (b) Appeal against order on a petition or application On the scale prescribed in article 1 on the amount in dispute. falling under clause (a).
- (ख) खंड (क) के अधीन आने वाली अर्जी या आवेदन पर आदेश की विवादग्रस्त रकम पर अनुच्छेद 1 में विहित मापमान पर
3. (a) Petition under section 53 or section 54 of the An amount equal to one-half Provincial Insolvency Act, (Central Act 5 of 1920) the fee at the scale prescribed in article 1 on the market-value of the subject-matter, subject to a maximum fee of rupees five hundred.
3. (क) राज्य में क्या अनुकूलित या विस्तारित प्रांतीय दिवालता अधिनियम, 1920 (1920 का केंद्रीय अधिनियम 5) की धारा 53 या धारा 54 के अधीन अर्जी
- (b) Appeal against orders on a petition falling under An amount equal to one-half clause (a) whether by the Official Receiver or by the fee at the scale prescribed unsuccessful party. in article 1 on the market-value of the subject-matter, subject to a maximum fee of rupees five hundred.
- (ख) खंड (क) के अधीन आने वाली अर्जी पर आदेश की अर्जी पर अनुच्छेद 1 में विहित मापमान पर फीस की अर्जा के बराबर रकम

4. Memorandum of appeal against order in An amount equal to one-half proceedings under the Indian Succession Act, 1925 the fee at the scale prescribed in article 1 on the amount or value of the subject-matter.
4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का केंद्रीय रकम या विषय वस्तु के मूल्य पर अधिनियम 39) के अधीन कार्यवाही में अपील का अनुच्छेद 1 में विहित मापान पर फीस की अपील के बराबर रकम
5. Application for review of judgment. One-half of the fee payable on the plaint or memorandum of appeal comprising the relief sought in the application for review.
5. निर्णय के पुनर्विचार के लिए आवेदन पुनर्विचार के आवेदन में शामिल अनुचित को समाहित करते हुए वादपत्र या अपील के श्रापण पर संदेय फीस की आधी
6. Probate of a will or letters of administration with or without will annexed—
6. किसी विल का प्रोबेट या उपबद्ध विल के सहित या उसके बिना प्रशासन-पत्र —
- When the amount or value of the estate in respect of Two per centum on such which the grant of probate or letters is made amount or value. exceeds one thousand rupees, but does not exceed five thousand rupees.
- जबकि रकम या मूल्य जिसके बारे में प्रोबेट या पत्रों का अनुदान ऐसी रकम या मूल्य पर दो प्रतिशत किया जाता है, एक हजार रुपये से अधिक है, किंतु पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं है
- When such amount or value exceeds five thousand rupees. Three per centum on such amount or value.
- जबकि ऐसी रकम या मूल्य पाँच हजार रुपये से अधिक है ऐसी रकम या मूल्य पर तीन प्रतिशत
7. Certificate under the Indian Succession Act, 1925 (Central Act 39 of 1925)—
7. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का केंद्रीय अधिनियम 39) के अधीन प्रमाण-पत्र —
- Where the amount or value of the debt or security Two per centum on such or the aggregate amount or value of the debts and amount or value. securities specified in the certificate extends up to rupees five thousand.
- वहाँ ऋण या प्रतिभूति की रकम या मूल्य या प्रमाणपत्र में ऐसी रकम या मूल्य पर दो प्रतिशत विनिर्दिष्ट (specified) ऋणों या प्रतिभूतियों की संश्लिप्त रकम या मूल्य पाँच हजार रुपये तक है
- Where such amount or value exceeds five thousand rupees. Three per centum on such amount or value.
- वहाँ ऐसी रकम या मूल्य पाँच हजार रुपये से अधिक है ऐसी रकम या मूल्य पर तीन प्रतिशत

**Note** :—(1) Where a certificate is extended under section 376 of the Indian Succession Act, 1925 (Central Act 39 of 1925) fee shall be computed on the amount for which a certificate is sought to be extended and the amount for which a certificate or certificates has or have already been issued, credit being given for the fee already paid.

**टिप्पणी** :—(1) जहाँ कोई प्रमाणपत्र भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का केंद्रीय अधिनियम, 39) की धारा 376 के अधीन विस्तारित किया जाता है, फीस उस रकम जिसके लिए प्रमाणपत्र का विस्तारित किया जाना इच्छित है और रकम जिसके लिए प्रमाणपत्र पहले ही जारी किया जा चुका है या किए जा चुके हैं, पर, पहले से संश्लिप्त फीस को मुबरा देते हुए, संगणित की जाएगी।

(2) The amount of a debt is its amount, including interest, the day on which the inclusion of the debt in the certificate is applied for so far as such amount can be ascertained.

(2) किसी ऋण की रकम, उस दिन जिस पर ऋण के प्रमाणपत्र में सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन किया जाता है, जहाँ तक कि ऐसी रकम अधिनिरिक्त की जा सके, ब्याज सहित उसकी रकम होगी।

(3) Whether or not any power with respect to a security specified in a certificate has been conferred under the Act, and where such a power has been so conferred, whether the power is for the receiving of interest or dividend on, or for the negotiation or transfer of the security, or for both purposes, the value of the security is its market value on the day on which the inclusion of the security in the certificate applied for, so far as such value can be ascertained.

(3) जब किसी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिभूति के बारे में अधिनियम के अधीन कोई शक्ति प्रदान की गई या नहीं, और जहाँ ऐसी कोई शक्ति प्रदान की गई है, अथवा ऐसी शक्ति प्रतिभूति पर ब्याज या लाभशेरी (dividends) के प्राप करने के लिए है या प्रतिभूति के परामर्श (negotiation) या अंतरण (transfer) के लिए या दोनों प्रयोजनों के लिए है, प्रतिभूति (security) का मूल्य उस दिन जिस दिन प्रतिभूति (security) के प्रमाणपत्र में सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन किया जाता है, उसका बाजारी मूल्य (market value), जहाँ तक कि ऐसा मूल्य अधिनिरिक्त किया जा सके, होगा।

(4) Where the Court-fee calculated in accordance with the rate of fee given in column (3) works out to a sum containing a fraction of a rupee, the total amount of fee shall be rounded off to the next higher whole rupees.]

(4) जहाँ स्तंभ (3) में दी गई फीस की दर के अनुसार परिकल्पित न्यायालय फीस एक रुपये के अंश में आती है, फीस की कुल रकम अंगत पूरे रुपये तक पूर्णांकित कर दी जाएगी।

1. Added by S. 6 of Rajasthan Finance Act, 1977 (Rajasthan Act 5 of 1977) w.e.f. 30.9.1977.

2. राजस्थान विल अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्थान अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा जोड़ा गया [30.3.1977 में प्रवृत्त]

**SCHEDULE II (अनुसूची II)**  
**(Fixed Fees) नियत फीस**

Article अनुच्छेद	Particulars विशिष्टियाँ	Proper Fee समूचित फीस			
(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
1.	(i) Petition in a suit under the Native Convert's Marriage Dissolution Act, 1866 (Central Act 21 of 1866).	Ten rupees	Ten rupees.	One hundred rupees	Ten rupees
1	(i) देशज संपरिवर्तित विवाह विघटन अधिनियम, 1866 (1866 का केंद्रीय अधिनियम) के अधीन वाद में अर्जी	दस रुपये	दस रुपये	एक सौ रुपये <sup>1</sup>	दस रुपये <sup>2</sup>
	(ii) Petition, plaint or memorandum of appeal when presented to a Court under the Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 (Central Act 8 of 1939).	Twenty rupees	Twenty rupees.	One hundred rupees	Twenty rupees
	(ii) अर्जी, वादपत्र या अपील का ज्ञापन जबकि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 (1939 का केंद्रीय अधिनियम 8) के अधीन किसी न्यायालय को उपस्थापित किया जाए	बीस रुपये	बीस रुपये	एक सौ रुपये <sup>1</sup>	बीस रुपये <sup>2</sup>
	(iii) Petition under the Indian Divorce Act, 1869 (Central Act 4 of 1869) excluding petition under section 44 of that Act and every memorandum of appeal under section 55 of that Act.	Twenty rupees	Twenty rupees.	One hundred rupees	Twenty rupees
	(iii) भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का केंद्रीय अधिनियम 4) के अधीन अर्जी जिससे उस अधिनियम की धारा 44 के अधीन अर्जी और उस अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्रत्येक अपील का ज्ञापन अपवादित है	बीस रुपये	बीस रुपये	एक सौ रुपये <sup>1</sup>	बीस रुपये <sup>2</sup>
<p>1. राजस्थान विवाह अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिसूचना संख्यांक एफ. 2(12) विधानी/87 बंगलूर अग्रेत 3, 1987 द्वारा उन दो एक को 31.3.1987 को विद्वत्मान भी, घटाई गई।</p> <p>2. राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद प्रस्तावना (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।</p>					

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
	(iv) Plaint or memorandum of appeal under the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 (Central Act 3 of 1936) or a counter-claim made under section 37 of that Act.	Twenty rupees	Twenty rupees	One hundred rupees	Twenty rupees
	(iv) पारसी विवाह एवं विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 (1936 का केंद्रीय अधिनियम 3) के अधीन वादपत्र या अपील का ज्ञापन या उस अधिनियम की धारा 37 के अधीन किया गया प्रतिवादा	बीस रुपये	बीस रुपये	एक सौ रुपये <sup>1</sup>	बीस रुपये <sup>2</sup>
	(v) Petition or memorandum of appeal under the Special Marriage Act, 1954 (Central Act 43 of 1954) or under the Hindu Marriage Act, 1955 (Central Act 25 of 1955).	Twenty rupees	Twenty rupees	One hundred rupees	Twenty rupees
	(v) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का केंद्रीय अधिनियम 43) या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का केंद्रीय अधिनियम 25) के अधीन अर्जी या अपील का ज्ञापन	बीस रुपये	बीस रुपये	एक सौ रुपये <sup>1</sup>	बीस रुपये <sup>2</sup>

*Explanation.*—If in a petition or suit falling under any of these clauses there is a specific claim for damages, separate fee at the rate specified in article 1 of Schedule I shall be charged on the amount of damages claimed.

*स्पष्टीकरण*—यदि इन खंडों में से किसी खंड के अधीन आने वाली किसी अर्जी या वाद में नुकसानी (damages) के लिए कोई विनिर्दिष्ट दावा है, तो दावाकृत नुकसानी (damages) की रकम पर अनुसूची I के अनुच्छेद 1 में विनिर्दिष्ट दरों पर पृथक् फीस प्रशारित की जाएगी।

2.	Undertaking under section 49 of the Indian Divorce Act, 1869 (Central Act 4 of 1869.)	One rupee	One rupee.	One rupee	One rupee
2.	भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का केंद्रीय अधिनियम 4) की धारा 49 के अधीन प्रतिवादा	एक रुपया	एक रुपया	एक रुपया	एक रुपया

1. राजस्थान विवाह अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिसूचना संख्यांक एफ. 2(12) विधानी/87 बंगलूर अग्रेत 3, 1987 द्वारा उन दो एक को 31.3.1987 को विद्वत्मान भी, घटाई गई।

2. राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद प्रस्तावना (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
3.	Memorandum of appeal from an order inclusive of an order determining any question under section 47 or section 144 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908) and not otherwise provided for when presented—				
3.	किसी आदेश की अपील का ज्ञापन जिसके अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम 5) की धारा 47 या धारा 144 के अधीन किसी प्रश्न को अवधारित करने वाला आदेश भी आता है और जिसके बारे में अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया है, जबकि [निम्नलिखित को] उपस्थापित किया जाए—				
(i)	to any Court other than the High Court or to any Executive Officer other than the Board of Revenue or Chief Executive Authority;	One rupee	One rupee	One rupee	One rupee
(i)	उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय को या राजस्व बोर्ड या मुख्य कार्यपालक अधिकारी से भिन्न किसी कार्यपालक अधिकारी को	एक रुपया	एक रुपया	दस रुपये <sup>१</sup>	एक रुपया <sup>२</sup>
(ii)	to the Board of Revenue or Chief Executive Authority;	Two rupee	Two rupee	Twenty rupee	Twenty rupee
(ii)	राजस्व बोर्ड या मुख्य कार्यपालक अधिकारी को	दो रुपये	दो रुपये	बीस रुपये <sup>१</sup>	बीस रुपये
(iii)	to the High Court from an order—				
	(1) Where the order was passed by a subordinate Court or other authority—				
(iii)	उच्च न्यायालय को किसी आदेश की —				

१. राजस्थान वित्त अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिसूचना संख्यांक एफ. 2(12) दिनांक/87 जयपुर असेल 3, 1987 द्वारा उन दलों तक जो 31.3.1987 को विद्यमान थे, घटाई गई।

२. राजस्थान न्यायालय फीस एवं चार्ज मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
(1)	जहाँ आदेश किसी अधीनस्थ न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था—				
(a)	if the order relates to a suit or proceeding, the value of which exceeds one thousand rupees;	Two rupee	Ten rupees.	Fifty rupees	Ten rupees
(क)	यदि आदेश किसी वाद या कार्यवाही, जिसका मूल्य एक हजार रुपये से अधिक है, से संबंधित है	दो रुपये	दस रुपये	पचास रुपये <sup>१</sup>	दस रुपये <sup>२</sup>
(b)	in any other case.	Five rupees	Five rupees	Twenty Five rupees	Five rupees
(ख)	किसी अन्य मामले में	पाँच रुपये	पाँच रुपये	एब्बीस रुपये <sup>१</sup>	पाँच रुपये <sup>२</sup>
(2)	Where the appeal is from the judgment of a single Judge of High Court of Rajasthan under any law for the time being in force—				
(2)	जहाँ अपील तत्काल प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राजस्थान उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय की है —				
(a)	from an order passed in exercise of appellant jurisdiction;	Ten rupees	Ten rupees.	Fifty rupees	Ten rupees
(क)	अपील अतिरिक्त के प्रयोग में पारित आदेश की	दस रुपये	दस रुपये	पचास रुपये <sup>१</sup>	दस रुपये <sup>२</sup>
(b)	in any other case.	One hundred rupees	One hundred rupees.	One hundred rupees	One hundred rupees

१. राजस्थान वित्त अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिसूचना संख्यांक एफ. 2(12) दिनांक/87 जयपुर असेल 3, 1987 द्वारा उन दलों तक जो 31.3.1987 को विद्यमान थे, घटाई गई।

२. राजस्थान न्यायालय फीस एवं चार्ज मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
	(ख) किसी अन्य मामले में	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये
	(3) Where the appeal is under section 45-B of the Banking Companies Act, 1949 (Central Act 10 of 1949).	One hundred rupee	One hundred rupees.	One hundred rupee	One hundred rupee
	(3) जहाँ अपील बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 (1949 का केंद्रीय अधिनियम 10) की धारा 45-ख के अधीन है	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये
	(4) Where the appeal is under section 411-A of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act 5 of 1898) [Sec. 374(1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974)].	Five rupees	Five rupees	Five rupees	Five rupees
	(4) जहाँ अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का केंद्रीय अधिनियम 5) की धारा 411-क [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम 2) की धारा 374 (1)] के अधीन है	पाँच रुपये	पाँच रुपये	पाँच रुपये	पाँच रुपये
	(iv) to the State Government in pursuance of a statutory right to appeal for which no Court-fee is liviable under any other enactment.	Five rupees	Five rupees	Fifty rupees	Five rupees
	(iv) अपील के कानूनी अधिकार के अनुसरण में राज्य सरकार को, जिसके बारे में किसी अन्य अधिनियम/मिति के अधीन कोई फीस उद्ग्रहणीय नहीं है	पाँच रुपये	पाँच रुपये	पचास रुपये <sup>१</sup>	पाँच रुपये <sup>१</sup>
4.	Memorandum of appeal under section 39 of the Arbitration Act, 1940 (Central Act 10 of 1940)—				

१. राजस्थान विल अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिसूचना संख्यांक एफ. 2(12) विधायी/87 जयपुर अप्रैल 3, 1987 द्वारा उन दलों तक जो 31.3.1987 को विद्यमान थी, घटाई गई।
२. राजस्थान न्यायालय फीस एवं बाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
4.	माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का केंद्रीय अधिनियम 40) की धारा 39 के अधीन अपील के ज्ञापन पर				
	(i) where the value for jurisdiction does not exceed Rs. 5,000;	Fifteen rupees.	Fifteen rupees.	Fifteen rupees.	Fifteen rupees.
	(i) जहाँ अधिकारिता के लिए मूल्य रुपये 5000/- से अनधिक है	पंद्रह रुपये	पंद्रह रुपये	पंद्रह रुपये	पंद्रह रुपये
	(ii) in any other case.	One hundred rupees.	One hundred rupees.	One hundred rupees.	One hundred rupees.
	(ii) किसी अन्य मामले में	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये
5.	Copy or translation of a judgment or order not being or having the force of a decree—				
5.	किसी निर्णय या आदेश जो कोई डिक्री नहीं है या डिक्री का प्रभाव नहीं रखता है की प्रतिलिपि या अनुवाद —				
	When such judgment or order is passed by any Civil Court other than the High Court or by the Presiding Officer of any Revenue Court or office or by any other Court or Judicial or Executive Authority—				
	जबकि ऐसा निर्णय या आदेश उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय द्वारा या किसी राजस्व न्यायालय या कार्यालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या किसी अन्य न्यायालय या न्यायिक या कार्यपालक प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाए				
	(a) if the amount or value of the subject-matter is fifty or less than fifty rupees;	Fifty naye paise	One rupee	Five rupees	One rupee
	(क) यदि रकम या विषय-वस्तु का मूल्य पचास या पचास रुपये से कम है	पचास नए पैसे	एक रुपया <sup>१</sup>	पाँच रुपये <sup>१</sup>	एक रुपया <sup>१</sup>

१. राजस्थान विल अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्थान अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित [30.3.1977 से प्रवृत्त]
२. राजस्थान विल अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिसूचना संख्यांक एफ. 2(12) विधायी/87 जयपुर अप्रैल 3, 1987 द्वारा उन दलों तक जो 31.3.1987 को विद्यमान थी, घटाई गई।
३. राजस्थान न्यायालय फीस एवं बाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
	(b) if such amount or value exceeds fifty rupees.	One rupee	One rupee	Five rupees	One rupee
	(ख) यदि ऐसी रकम या मूल्य पचास रुपये से अधिक है	एक रुपया	एक रुपया	पाँच रुपये <sup>1</sup>	एक रुपया <sup>2</sup>
	When such judgment or order is passed by the High Court.	Two rupee	Two rupees	Five rupees	Two rupees
	जबकि ऐसा निर्णय या आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जाए	दो रुपये	दो रुपये	पाँच रुपये <sup>1</sup>	दो रुपये <sup>2</sup>
6.	Copy or translation of a judgment or order of a Criminal Court.	Fifty naye paise	One rupee	Two rupees	One rupee
6.	किसी दंडिक न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि या अनुवाद	पचास नए पैसे	एक रुपया <sup>3</sup>	दो रुपये <sup>1</sup>	एक रुपया <sup>2</sup>
7.	Copy of a decree or order having the force of a decree—				
7.	किसी डिक्री या आदेश जो डिक्री का प्रभाव रखता है, की प्रतिलिपि —				
	When such decree or order is made by any Court other than the High Court—				
	जबकि ऐसी डिक्री या आदेश उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किया जाता है—				
	(a) if the amount or value of the subject-matter of the suit wherein such decree or order is made is fifty or less than fifty rupees;	Seventy fifty naye paise	One rupee.	Five rupees	One rupee
	(क) यदि रकम या मूल्य जिसमें ऐसी डिक्री या आदेश किया जाता है, की विषय वस्तु का मूल्य पचास या पचास रुपये से कम है	पचासहत्तर नए पैसे	एक रुपया <sup>3</sup>	पाँच रुपये <sup>1</sup>	एक रुपया <sup>2</sup>

1. राजस्थान विल अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिवृत्त संख्यांक एच. 2(12) विधायी/87 जयपुर असेल 3, 1987 द्वारा इन दो संक जो 31.3.1987 को विद्वत्मान थी, घटाई गई।

2. राजस्थान न्यायालय प्रीस एवं बार्ड नुन्योवन (संगोपन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. राजस्थान विल अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्थान अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित [30.3.1977 से प्रवृत्त]

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
	(b) if such amount or value exceeds fifty rupees;	One rupee and Fifty naye paise	Two rupee	Five rupees	Two rupee
	(ख) यदि ऐसी रकम या मूल्य पचास रुपये से अधिक है	एक रुपया पचास नए पैसे	दो रुपये <sup>1</sup>	पाँच रुपये <sup>2</sup>	दो रुपये <sup>3</sup>
	When such decree or order is made by the High Court.	Five rupees	Five rupees.	Five rupees	Five rupees
	जब ऐसी डिक्री या आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है	पाँच रुपये	पाँच रुपये	पाँच रुपये	पाँच रुपये
8.	Copy of any document liable to stamp duty under the Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952 (Rajasthan Act 7 of 1952), when left by any party to a suit or proceeding in place of the original withdrawn—				
8.	राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम 7) के अधीन स्टाम्प-शुल्क के दायित्ववाहीन किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि जबकि वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा मूल वापस लेकर उसके स्थान पर छोड़ी जाए —				
	(a) when the stamp duty chargeable on the original does not exceed one rupee;	The amount of the duty chargeable on the original.	The amount of the duty chargeable on the original.	The amount of the duty chargeable on the original.	The amount of the duty chargeable on the original.
	(क) जबकि मूल पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क (stamp duty) एक रुपये से अधिक नहीं है	मूल पर प्रभार्य शुल्क की रकम	मूल पर प्रभार्य शुल्क की रकम	मूल पर प्रभार्य शुल्क की रकम	मूल पर प्रभार्य शुल्क की रकम

1. राजस्थान विल अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्थान अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित [30.3.1977 से प्रवृत्त]

2. राजस्थान विल अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिवृत्त संख्यांक एच. 2(12) विधायी/87 जयपुर असेल 3, 1987 द्वारा इन दो संक जो 31.3.1987 को विद्वत्मान थी, घटाई गई।

3. राजस्थान न्यायालय प्रीस एवं बार्ड नुन्योवन (संगोपन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
	(b) in any other case. (ख) किसी अन्य मामले में	One rupee एक रुपया	One rupee. एक रुपया	One rupee एक रुपया	One rupee एक रुपया
9.	Copy of any revenue or judicial proceeding or order not otherwise provided for by this Act or copy of any account, statement, report or the like taken out of any Court or office or any public office—				
9.	किसी राजस्व या न्यायिक कार्यवाही या आदेश जिसके बारे में इस अधिनियम में अन्यथा उपरोक्त नहीं है, की प्रतिलिपि या किसी न्यायालय या कार्यालय या किसी लोक कार्यालय से निकाली गई किसी लेखा, विवरण रिपोर्ट या वैसी ही किसी चीज की प्रतिलिपि — For every document. प्रत्येक दस्तावेज के लिए	Seventy five naye Paise पचहत्तर नए पैसे	One rupee. एक रुपया <sup>1</sup>	Five rupees पाँच रुपये <sup>2</sup>	One rupee एक रुपया <sup>3</sup>
10.	(a) Application or petition presented under Chapter IV of the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act 4 of 1939)—				
10.	(क) मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (1939 का केंद्रीय अधिनियम 4) के अध्याय 4 [मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम 59) के अध्याय 4] के अधीन उपस्थापित आवेदन या अर्जी				
	(i) when presented to a Regional Transport Authority or its Chairman or Secretary;	Two rupee and Fifty naye paise	Three rupees	Twenty five rupees	Ten rupees.

१. राजस्व विल अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्व अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा प्रस्तापित [30.3.1977 से प्रवृत्त]

२. राजस्व विल अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्व अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रस्तापित और अधिवृत्त संश्लेषक एन. 2(12) विधायी/87 जपानु अग्रेल 3. 1987 द्वारा उठ दते एक से 31.3.1987 को विद्यमान की, पढई गई।

३. राजस्व न्यायालय चीज एवं नए मुल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्व अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रस्तापित।

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
	(ii) जबकि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या उसके अध्यक्ष या सचिव को उपस्थापित किया जाए	दो रुपया पचास नए पैसे	तीन रुपये <sup>1</sup>	पच्चीस रुपये <sup>2</sup>	दस रुपये <sup>3</sup>
	(ii) when presented to the State Transport Authority or its chairman or Secretary;	Five rupees	Five rupees.	Fifty rupees	Fifteen rupees
	(ii) जबकि राज्य परिवहन प्राधिकारी या उसके अध्यक्ष या सचिव को उपस्थापित किया जाए	पाँच रुपये	पाँच रुपये	पचास रुपये <sup>1</sup>	पंद्रह रुपये <sup>2</sup>
(b)	Application or petition presented to any Executive Officer under any Act for the time being in force for the conservancy or improvement of any place if the application or petition relates solely to such conservancy or improvement.	Fifty five naye paise	One rupee	Five rupees	One rupee
(ख)	किसी स्थान की सफाई या अधिवृद्धि के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन किसी कार्यपालक अधिकारी को उपस्थापित आवेदन या अर्जी, यदि आवेदन या अर्जी मुख्य रूप से ऐसी सफाई या अधिवृद्धि संबंधी है		एक रुपया <sup>1</sup>	पाँच रुपये <sup>2</sup>	एक रुपया <sup>3</sup>
(c)	Application or petition presented to any Board or Executive Officer for a copy or translation of any order passed by such Board or Officer or of any other document on record in such office.	Fifty five naye paise	One rupee.	Five rupees	One rupee
(ग)	किसी बोर्ड या कार्यपालक अधिकारी को उपस्थापित ऐसे बोर्ड या अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की या ऐसे कार्यालय में के अधिलेख पर के किसी अन्य नए पैसे दस्तावेज की प्रतिलिपि या अनुवाद के लिए आवेदन या अर्जी		एक रुपया <sup>1</sup>	पाँच रुपये <sup>2</sup>	एक रुपया <sup>3</sup>

१. राजस्व विल अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्व अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा प्रस्तापित [30.3.1977 से प्रवृत्त]

२. राजस्व विल अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्व अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रस्तापित और अधिवृत्त संश्लेषक एन. 2(12) विधायी/87 जपानु अग्रेल 3. 1987 द्वारा उठ दते एक से 31.3.1987 को विद्यमान की, पढई गई।

३. राजस्व न्यायालय चीज एवं नए मुल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्व अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रस्तापित।



(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
(d)	Application to a Forest Officer by a forest contractor for extension of the period of lease—				
(घ)	फिरो वन अधिकारी को फिरो वन डेकेटर द्वारा पट्टा (lease) की कालवधि के बढ़ाए जाने के लिए आवेदन				
(i)	if the value of the subject-matter of the lease is Rs. 5,000 or less;	Five rupees	Five rupees.	Ten rupees	Ten rupees
(ii)	यदि पट्टा (lease) की विषय वस्तु का मूल्य रुपये 5000/- वा कम है	पाँच रुपये	पाँच रुपये <sup>1</sup>	दस रुपये <sup>2</sup>	दस रुपये
(ii)	if such value exceeds Rs. 5,000 for every Rs. 1,000 or part thereof, in excess of Rs. 5,000	One rupee	One rupee.	Five rupees	Five rupees
(ii)	यदि ऐसा मूल्य रुपये 5000/- से अधिक है, रुपये 5000/- से अधिक प्रत्येक रुपये 1000/- वा उसके भाग पर	एक रुपया	एक रुपया	पाँच रुपये <sup>3</sup>	पाँच रुपये
(e)	Application for attestation of private documents intended to be used outside India.	One rupee	One rupee.	Five rupees	Five rupees
(ङ)	प्राइवेट दस्तावेजों जिनका भारत के बाहर उपयोग में लिया जाना आशयित है, के अनुप्रमाणन के लिए आवेदन	एक रुपया	एक रुपया	पाँच रुपये <sup>4</sup>	पाँच रुपये
(f)	Application for lapsed deposit presented after six months after the date on which the amount lapsed to the Government—				
(घ)	व्यपगत जमा के लिए आवेदन जो रकम के सरकार को व्यपगत होने की तारीख के छः मास पश्चात् उपस्थित किया जाए				
(i)	when the amount or deposit does not exceed Rs. 50;	Fifty naye paise	One rupee.	Five rupees	One rupee

१. राजस्वान वित्त अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्वान अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिवृत्त संसदीय एक. 2(12) विधायी/87 अचर असेल 3, 1987 द्वारा उन दो तक जो 31.3.1987 को विद्यमान थे, धराई गई।

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
(i)	बर्बक रकम वा जमा रुपये 50/- से अधिक नहीं है;	पचास नए पैसे	एक रुपया <sup>1</sup>	पाँच रुपये <sup>2</sup>	एक रुपया <sup>3</sup>
(ii)	when the amount or deposit exceeds Rs. 50 but does not exceed Rs. 1,000;	One rupee	One rupee.	Five rupees	One rupee
(ii)	बर्बक रकम वा जमा रुपये 50/- से अधिक है किंतु एक हजार रुपये से अधिक नहीं है;	एक रुपया	एक रुपया	पाँच रुपये <sup>3</sup>	एक रुपया <sup>3</sup>
(iii)	when it exceeds Rs. 1,000.	Two rupees	Two rupees.	Ten rupees	Two rupees
(iii)	जब वह रुपये 1000/- से अधिक है	दो रुपये	दो रुपये	दस रुपये <sup>3</sup>	दो रुपये <sup>3</sup>
(g)	Application or petition presented to the State Government and not otherwise provided for—				
(ङ)	राज्य सरकार को उपस्थित आवेदन वा अर्जी और जिसके बारे में अन्यथा उपबंधित नहीं है				
(i)	which involves the exercise or non-exercise of power conferred by law or rule having the force of law;	Two rupees	Two rupees.	Ten rupees	Two rupees
(i)	जिसमें विधि वा विधि का प्रभाव रखने वाले नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग वा अयोजन अंतर्गत है	दो रुपये	दो रुपये	दस रुपये <sup>3</sup>	दो रुपये <sup>3</sup>
(ii)	in other cases.	Fifty naye paise	One rupee.	Ten rupee	One rupee

१. राजस्वान वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्वान अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित [30.3.1977 से प्रवृत्त]

२. राजस्वान वित्त अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्वान अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिवृत्त संसदीय एक. 2(12) विधायी/87 अचर असेल 3, 1987 द्वारा उन दो तक जो 31.3.1987 को विद्यमान थे, धराई गई।

३. राजस्वान व्ययपालक शेष एवं धन नुस्तान (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्वान अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
	(ii) अन्य मामलों में	पचास नए पैसे	एक रुपया <sup>1</sup>	दस रुपये <sup>2</sup>	एक रुपया <sup>3</sup>
	(h) Application or petition presented to the Board of Revenue or Chief Executive Authority and not otherwise provided for—				
(ख)	राजस्व बोर्ड या मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी को उपस्थापित कोई आवेदन या अर्जी और जिसके बारे में अन्याय उपस्थापित नहीं है —				
	(i) which involves the exercise or non-exercise of power conferred by law or rule having the force of law;	Two rupees	Two rupees.	Ten rupees	Two rupees
	(i) जिसमें विधि या विधि का प्रभाव रखने वाले नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग या अप्रयोग अंतर्भूत है	दो रुपये	दो रुपये	दस रुपये <sup>2</sup>	दो रुपये <sup>3</sup>
	(ii) in other cases.	One rupee and fifty naye paise	Two rupees.	Ten rupees	Two rupees
	(ii) अन्य मामलों में	एक रुपया पचास नए पैसे	दो रुपये <sup>2</sup>	दस रुपये <sup>2</sup>	दो रुपये <sup>3</sup>
	(i) Application or petition not falling under clause (g) or clause (h) and presented to a public officer or in a public office and not otherwise provided for—				
(क)	आवेदन या अर्जी जो खंड (ग) या खंड (ह) के अंतर्गत नहीं आती है और किसी लोक अधिकारी को या किसी लोक कार्यालय में उपस्थापित की जाती है और जिसके बारे में अन्याय उपस्थापित नहीं है —				

१. राजस्व विभाग अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्व अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित [30.3.1977 से प्रवृत्त]  
 २. राजस्व विभाग अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्व अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिवृत्त संश्लेषक एन. 2(12) विधायी/87 बयान अक्ट. 3, 1987 द्वारा उन दो तक जो 31.3.1987 को विद्यमान थे, धराई गई।  
 ३. राजस्व न्यायालय फीस एवं नए मुद्रांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्व अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

70 |

The Rajasthan Court-Fees And Suits Valuation Act, 1961

[Sch. II

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
	(i) which involves the exercise or non-exercise of power conferred by the law or rule having the force of law;	One rupees	One rupee	Five rupees	One rupee
	(i) जिसमें विधि या विधि का प्रभाव रखने वाले नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग या अप्रयोग अंतर्भूत है	एक रुपया	एक रुपया	पाँच रुपये <sup>2</sup>	एक रुपया <sup>3</sup>
	(ii) in other cases.	Twenty five naye paise	One rupee.	Five rupees	One rupee
	(ii) अन्य मामलों में	पच्चीस नए पैसे	एक रुपया <sup>3</sup>	पाँच रुपये <sup>2</sup>	एक रुपया <sup>3</sup>
11.	(a) Application or petition presented to any Court for a copy or translation of any judgment, decree or any proceeding or order passed by such Court or of any other document on record in such Court.	Fifteen naye paise	One rupee.	Five rupees	One rupee
11.	(क) किसी न्यायालय को ऐसे न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या अन्य कार्यवाही या आदेश या ऐसे न्यायालय में के अधिलेख पर के किसी अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि या अनुवाद के लिए उपस्थापित (presented) आवेदन या अर्जी	पंद्रह नए पैसे	एक रुपया <sup>3</sup>	पाँच रुपये <sup>2</sup>	एक रुपया <sup>3</sup>
	(b) Application or petition presented to any Civil Court other than a principal Civil Court of original jurisdiction or to any Court of Small Causes constituted under the Rajasthan Small Causes Courts Ordinance, 1950, (Rajasthan Ordinance 8 of 1950) in relation to any suit or case in which the amount or value of the subject-matter is less than Rs. 50.	Twenty five naye paise	One rupee	Five rupees	One rupees

१. राजस्व विभाग अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्व अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिवृत्त संश्लेषक एन. 2(12) विधायी/87 बयान अक्ट. 3, 1987 द्वारा उन दो तक जो 31.3.1987 को विद्यमान थे, धराई गई।  
 २. राजस्व न्यायालय फीस एवं नए मुद्रांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्व अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।  
 ३. राजस्व विभाग अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्व अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित [30.3.1977 से प्रवृत्त]

अनुसूची II |

Rajasthan Court-Fees And Suits Valuation Act, 1961

1. 2

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
(ख)	मूल सिविल अधिकारिता के प्रधान सिविल न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय को या राजस्थान लघुकाद न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का राजस्थान अध्यादेश 8) के अधीन गठित किसी लघुकाद न्यायालय को किसी वाद या मामले जिसमें रकम या विषय वस्तु का मूल्य रुपये 50/- से कम है, के संबंध में उपस्थापित (presented) आवेदन या अर्जी	पन्नीस नए पैसे	एक रुपया <sup>1</sup>	पाँच रुपये <sup>2</sup>	एक रुपया <sup>3</sup>
(c)	Application to any Court that records may be called from another Court, when the Court grants the application and is of opinion that the transmission of such records involves the use of the post.	Seventy five naye paise in addition to the fee leviable on the application	One rupee in addition to the fee leviable on the application	Five rupees	One rupee
(ग)	किसी न्यायालय को आवेदन कि किसी अन्य न्यायालय से अधिलेख मंगावा जाए, जबकि न्यायालय आवेदन मंजूर करता है और उसकी यह राय है कि ऐसे अधिलेखों के परिवहन में डाक का उपयोग अंतर्दस्ता है	आवेदन पर उद्गृहणीयपत्रों के अतिरिक्त एक पचहत्तर नए पैसे	आवेदन पर उद्गृहणीय पत्रों के अतिरिक्त एक रुपया	पाँच रुपये <sup>2</sup>	एक रुपया <sup>3</sup>
(d)	Application or petition presented to a Court for determination of the amount of compensation to be paid by a landlord to his tenant.	One rupee	One rupee.	Five rupee	One rupee
(घ)	किसी न्यायालय को उपस्थापित (presented) किसी भू-स्वामी (landlord) द्वारा उसके अधिपतारी (tenant) को संदत्त किए जाने वाले इतिहास (compensation) की रकम के अन्वयण (determination) के लिए आवेदन या अर्जी	एक रुपया	एक रुपया	पाँच रुपये <sup>2</sup>	एक रुपया <sup>3</sup>

१. राजस्थान विल अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्थान अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित [30.3.1977 से प्रवृत्त]

२. राजस्थान विल अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिवृत्त संशोधन एक. 2(12) विधायी/87 जयपुर अग्रेल 3, 1987 द्वारा उन दो तर्कों को 31.3.1987 को निरद्वयमान की, धराई गई।

३. राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद दूरस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
(e)	A written complaint or charge of any offence other than an offence for which a police officer may, under the Code of Criminal Procedure, arrest without warrant and presented to any Criminal Court and an oral complaint of any such offence reduced to writing under the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act 5 of 1898) [Now-Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974)].	One rupee	One rupee.	Five rupee	One rupee
(ङ)	किसी अपराध जिसके बारे में पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, से भिन्न अपराध के बारे में किसी दायिक न्यायालय को उपस्थापित (presented) लिखित परिवाद या आरोप और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का केंद्रीय अधिनियम 5) [अब - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम 2)] के अधीन लेखबद्ध किया गया किसी ऐसे अपराध का मौखिक परिवाद	एक रुपया	एक रुपया	पाँच रुपये <sup>1</sup>	एक रुपया <sup>2</sup>
(f)	Application or petition presented to any Court, or to any Magistrate in his executive capacity and not otherwise provided for.	Fifty naye pase	One rupee.	Five rupee	One rupee
(घ)	किसी न्यायालय को या किसी मजिस्ट्रेट को उसकी कार्यपालक क्षमिता (executive capacity) में उपस्थापित (presented) आवेदन या अर्जी और नए पैसे जिसके बारे में अन्याय उपबंधित नहीं है		एक रुपया <sup>3</sup>	पाँच रुपये <sup>1</sup>	एक रुपया
(g)	Application for arrest or attachment before judgment or for temporary injunction—				

१. राजस्थान विल अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिवृत्त संशोधन एक. 2(12) विधायी/87 जयपुर अग्रेल 3, 1987 द्वारा उन दो तर्कों को 31.3.1987 को निरद्वयमान की, धराई गई।

२. राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद दूरस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

३. राजस्थान विल अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्थान अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित [30.3.1977 से प्रवृत्त]

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
(छ)	निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी या कुर्की के लिए या अस्थायी व्यूह (temporary junction) के लिए आवेदन —				
(i)	when presented to a Civil Court other than the High Court in relation to any suit or proceeding;	One rupee	One rupee.	Five rupee	One rupee
(i)	जबकि किसी वाद या कार्यवाही के संबंध में उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय को उपस्थित (present) किया जाए	एक रुपया	एक रुपया	पाँच रुपये <sup>1</sup>	एक रुपया <sup>2</sup>
(ii)	when presented to the High Court.	Five rupees	Five rupees.	Ten rupees	Five rupees
(ii)	जबकि उच्च न्यायालय को उपस्थित (present) किया जाए	पाँच रुपये	पाँच रुपये	दस रुपये <sup>1</sup>	पाँच रुपये <sup>2</sup>
(h)	Application or petition under section 47 and Order XXI, Rules 58 and 90 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908)—				
(ज)	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम 5) की धारा 47 और आदेश 21, नियम 58 और 90 के अधीन आवेदन या अर्ज —				
(i)	when filed in a Court subordinate to the High Court;	One rupee	One rupee.	Five rupee	One rupee
(i)	जबकि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय में फाइल की जाए	एक रुपया	एक रुपया	पाँच रुपये <sup>1</sup>	एक रुपया <sup>2</sup>
(ii)	when filed in the High Court.	Five rupees	Five rupees.	Ten rupees	Five rupees
(ii)	जबकि उच्च न्यायालय में फाइल की जाए	पाँच रुपये	पाँच रुपये	दस रुपये <sup>1</sup>	पाँच रुपये <sup>2</sup>
(i)	Application or petition under sections 34, 72, 73 and 74 of the Indian Trusts Act, 1882 (Central Act 2 of 1882).	Five rupees	Five rupees	Ten rupees	Five rupees

१. राजस्व विनियम, 1987 (1987 का राजस्व अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिवृत्त संख्यांक एक, 2(12) विधायी/87 बसपुर अक्ट 3, 1987 द्वारा उन दो तक को 31.3.1987 को विद्धान्त ही, धर्य नहीं।

२. राजस्व न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्व अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
(झ)	भारतीय न्याय अधिनियम, 1882 (1882 का केंद्रीय अधिनियम 2) की धारा 34, 72, 73 और 74 के अधीन आवेदन या अर्ज	पाँच रुपये	पाँच रुपये	दस रुपये <sup>1</sup>	पाँच रुपये <sup>2</sup>
(j)	(i) Application for probate or letters of administration to have effect throughout India;	Twenty five rupees	Twenty-five rupees.	Twenty-five rupees.	Twenty-five rupees.
(ज)	(i) भारत में सर्वत्र प्रभावी होने वाले प्रोबेट या प्रशासन-पत्रों के लिए आवेदन	पच्चीस रुपये	पच्चीस रुपये	पच्चीस रुपये	पच्चीस रुपये
	(ii) Application for probate or letters of administration not falling under clause(i)—				
	(ii) प्रोबेट या प्रशासन-पत्रों जो खंड (i) के अधीन नहीं आते हैं, के लिए आवेदन—				
	(1) if the value of the estate does not exceed Rs. 1,000;	One rupee	One rupee	One rupee	One rupee
	(1) यदि संपदा (estate) का मूल्य रुपये 1000/- से अधिक है	एक रुपया	एक रुपया	एक रुपया	एक रुपया
	(2) if the value exceeds Rs. 1,000.	Five rupees	Five rupees.	Five rupees	Five rupees
	(2) जब मूल्य रुपये 1000/- से अधिक है	पाँच रुपये	पाँच रुपये	पाँच रुपये	पाँच रुपये

Provided that if a caveat is entered and the application is registered as a suit, one-half the scale of fee prescribed in Article 1 of Schedule I on the market-value of the estate less the fee already paid on the application shall be levied.

परंतु यदि कैवेट दाखिल की जाती है और आवेदन वाद के रूप में रजिस्टर किया जाता है, आवेदन पर पहले ही संदल फीस को कम करते हुए संपदा (estate) के बाजारी-मूल्य पर अनुसूची I के अनुच्छेद 1 में विहित (prescribed) फीस के मापमान (scale) की आधी उद्वृहीत (levy) की जाएगी।

(k) Original petitions not otherwise provided for when filed in—

१. राजस्व विनियम, 1987 (1987 का राजस्व अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिवृत्त संख्यांक एक, 2(12) विधायी/87 बसपुर अक्ट 3, 1987 द्वारा उन दो तक को 31.3.1987 को विद्धान्त ही, धर्य नहीं।

२. राजस्व न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्व अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
	(ट) मूल अर्बिट्रॉ बिजनेस के बारे में अन्वया उपबंधित नहीं है, जब फाइल की जाए—				
	(i) a Court subordinate to the High Court;	Two rupees	Two rupees.	Ten rupees	Two rupees
	(i) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय में	दो रुपये	दो रुपये	दस रुपये <sup>1</sup>	दो रुपये <sup>2</sup>
	(ii) the High Court.	Ten rupees	Ten rupees.	Fifty rupees	Ten rupees
	(ii) उच्च न्यायालय में	दस रुपये	दस रुपये	पचास रुपये <sup>2</sup>	दस रुपये <sup>2</sup>
	(I) Application to set aside an award under the Arbitration Act, 1940 (Central Act 10 of 1940)—				
	(उ) मध्यस्थ अर्बिट्रेशन, 1940 (1940 का केंद्रीय अधिनियम 10) के अधीन किसी अर्बिट्रेशन के अपारल किए जाने के लिए आवेदन—				
	(1) if the value of the subject-matter of the award does not exceed Rs. 5,000;	Twenty-five rupees	Twenty-five rupees.	Twenty-five rupees	Twenty-five rupees
	(1) यदि अर्बिट्रेशन की विषय वस्तु का मूल्य रुपये 5000/- से अनधिक है	पच्चीस रुपये	पच्चीस रुपये	पच्चीस रुपये	पच्चीस रुपये
	(2) if such value exceeds Rs. 5,000 but does not exceed Rs. 10,000;	One hundred rupees	One hundred rupees.	One hundred rupees	One hundred rupees
	(2) यदि ऐसा मूल्य रुपये 5000/- से अधिक है किंतु रुपये 10,000/- से अनधिक है	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये

1. राजस्वान विल अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्वान अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा डीमार्शलि और अधिमूचना संकलक एन. 2(12) विधायी/87 वस्तु अटल 3, 1987 द्वारा उर दरी तक जो 31.3.1987 को विद्यमान थी, धवाई हुई।

2. राजस्वान न्यायालय कीस एवं बाद मूल्यवर्धन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्वान अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा डीमार्शलि।

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
	(3) if such value exceeds Rs. 10,000.	Two hundred and fifty rupees	Two hundred and fifty rupees.	Two hundred and fifty rupees	Two hundred and fifty rupees
	(3) यदि ऐसा मूल्य रुपये 10,000/- से अधिक है	दो सौ पचास रुपये	दो सौ पचास रुपये	दो सौ पचास रुपये	दो सौ पचास रुपये
	(m) Application under section 14 or section 20 of the Arbitration Act, 1940 (Central Act 10 of 1940) for a direction for filing an award or for an order for filing an agreement and application for enforcing foreign awards—				
	(उ) मध्यस्थ अर्बिट्रेशन, 1940 (1940 का केंद्रीय अधिनियम 10) की धारा 14 या धारा 20 के अधीन किसी अर्बिट्रेशन के फाइल किए जाने के लिए या किसी करार के फाइल किए जाने के आदेश के लिए आवेदन और विदेशी अर्बिट्रेशन के प्रवर्धित किए जाने के लिए आवेदन—				
	(1) if the value of the subject-matter of the award does not exceed Rs. 5,000;	Fifteen rupees	Fifteen rupees.	Fifteen rupees	Fifteen rupees
	(i) यदि अर्बिट्रेशन की विषय वस्तु का मूल्य रुपये 5000/- से अनधिक है	पंद्रह रुपये	पंद्रह रुपये	पंद्रह रुपये	पंद्रह रुपये
	(2) if such value exceeds Rs. 5,000 but does not exceed Rs. 10,000;	One hundred rupees	One hundred rupees.	One hundred rupees	One hundred rupees
	(ii) यदि ऐसा मूल्य रुपये 5000/- से अधिक है किंतु रुपये 10,000/- से अनधिक है	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये
	(3) if such value exceeds Rs. 10,000.	Two hundred and fifty rupees	Two hundred and fifty rupees.	Two hundred and fifty rupees	Two hundred and fifty rupees

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
	(iii) यदि ऐसा मूल्य रुपये 10,000/- से अधिक है	दो सौ पचास रुपये	दो सौ पचास रुपये	दो सौ पचास रुपये	दो सौ पचास रुपये
(n)	Petition to the High Court for the admission of an Advocate or Vakil.	Twenty rupees	Twenty rupees.	Twenty rupees	Twenty rupees
	(द) किसी अधिवक्ता या वकील के प्रवेश के लिए उच्च न्यायालय को अर्ज	बीस रुपये	बीस रुपये	बीस रुपये	बीस रुपये
(o)	Application presented to the High Court under section 24 of the Press (Objectionable Matter) Act, 1951 (Central Act 56 of 1951).	Fifty rupees	Fifty rupees.	Fifty rupees	Fifty rupees
	(ण) प्रेस (आक्षेपणीय सामग्री) अधिनियम, 1951 (1951 का केंद्रीय अधिनियम 56) की धारा 24 के अधीन उच्च न्यायालय को उपस्थापित आवेदन	पचास रुपये	पचास रुपये	पचास रुपये	पचास रुपये
(p)	Revision petition presented to the High Court under section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), under section 23 of the Rajasthan Small Causes Courts Ordinance, 1950 (Rajasthan Ordinance 8 of 1950) or under the Provisions of any other Act, arising out of a suit or proceeding—				
	(त) किसी वाद या कार्यवाही से उत्पन्न सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम की धारा 115 के अधीन, राजस्थान लघुवाद न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का राजस्थान अध्यादेश 8) की धारा 23 या किसी अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन उच्च न्यायालय को उपस्थापित (presented) पुनरीक्षण अर्ज —				
	(i) if the value of the suit or proceeding to which the order sought to be revised relates does not exceeds Rs. 1,000;	Five rupees	Five rupees.	Twenty Five rupees	Five rupees

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
	(i) यदि वाद या कार्यवाही, जिससे आदेश जिसका पुनरीक्षण किया जाना इच्छित है, संबंधित है, का मूल्य रुपये 1000/- से अनधिक है	पाँच रुपये	पाँच रुपये	पच्चीस रुपये <sup>1</sup>	पाँच रुपये <sup>2</sup>
	(ii) if such value exceeds Rs. 1,000.	Ten rupees	Ten rupees.	Fifty rupees	Ten rupees
	(ii) यदि ऐसा मूल्य रुपये 1000/- से अधिक है	दस रुपये	दस रुपये	पचास रुपये <sup>1</sup>	दस रुपये <sup>2</sup>
(q)	Petition under section 391, 439 and 522 of the Indian Companies Act, 1956 (Central Act 1 of 1956) in connection with the winding-up of a company.	One hundred rupees	One hundred rupees.	One hundred rupees	One hundred rupees
	(घ) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 1) की धारा 391, 439 और 522 के अधीन कंपनी के परिसमापन के संबंध में आवेदन	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये
(r)	Petition to the High Court under Article 226 of the Constitution for a writ other than the writ of habeas corpus or a petition under Article 227 of the Constitution.	Twenty-five rupees	Twenty-five rupees.	One hundred rupees	Twenty-five rupees
	(द) उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) की रिट से भिन्न पच्चीस रुपये किसी रिट के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कोई अर्ज या संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन कोई अर्ज	पच्चीस रुपये	पच्चीस रुपये	एक सौ रुपये <sup>1</sup>	पच्चीस रुपये <sup>2</sup>
(s)	Application or petition presented to the High Court and not otherwise specifically provided for.	Two rupees	Two rupees.	Twenty five rupees	Two rupees
	(ध) उच्च न्यायालय को उपस्थापित (presented) आवेदन या अर्ज और जिसके दो रुपये बारे में अन्याय विनिर्दिष्टतः (specifically) उपबंधित नहीं है	दो रुपये	दो रुपये	पच्चीस रुपये <sup>1</sup>	दो रुपये <sup>2</sup>

<sup>1</sup> राजस्थान न्यायालय अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिसूचना संख्यांक एन. 2(12) दिनांक/87 जयपुर अनेक 3, 1987 द्वारा उक्त धारा को 31.3.1987 को विद्यमान थी, घटाई गई।

<sup>2</sup> राजस्थान न्यायालय अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
(t)	Election petition questioning the election of a person in respect of the office of—				
(n)	[निम्नलिखित में से किसी] पद के बारे में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को अक्षेपित करने वाली निर्वाचन अर्जी				
(i)	Member of any local authority;	Ten rupees	Ten rupees.	Fifty rupees	Fifty rupees
(i)	किसी स्थानीय प्राधिकरण (local authority) का सदस्य	दस रुपये	दस रुपये	पचास रुपये <sup>1</sup>	पचास रुपये
(ii)	Chairman or Vice-Chairman of Municipal Board or Sarpanch or Up-Sarpanch of a Village Panchayat or Chairman of a Nyaya Panchayat;	Twenty rupees	Fifty rupees	One hundred rupees	One hundred rupees
(ii)	नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या ग्राम पंचायत का सरपंच या पंच या न्याय पंचायत का अध्यक्ष	पच्चीस रुपये	पच्चीस रुपये	एक सौ रुपये <sup>1</sup>	एक सौ रुपये
(iii)	Pradhan or Up-Pradhan of a Panchayat Samiti or Pramukh or Up-Pramukh of a Zila Parishad or President or Vice President of a Municipal Council.	Fifty rupees	Fifty rupees.	Two hundred and fifty rupees	Two hundred and fifty rupees
(iii)	किसी पंचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान या किसी जिला परिषद का प्रमुख या उप-प्रमुख या नगरपालिका परिषद का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष	पचास रुपये	पचास रुपये	दो सौ पचास रुपये <sup>1</sup>	दो सौ पचास रुपये
12.	Application for leave to sue as a pauper.	Seventy five naye paise	One rupee	One rupee	One rupee
12.	अकिचन के रूप में वाद लाने की इजाजत के लिए आवेदन	पचहत्तर नए पैसे	एक रुपया <sup>1</sup>	एक रुपया	एक रुपया

१. राजस्वान विल अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्वान अधिनियम 7) (1.4.1987) को धारा 21 द्वारा परिष्कारित और अधिवृद्धन संख्यांक एक, 2(12) विधायी/87 जयपुर अक्ट 3, 1987 द्वारा उन दो एक को 31.3.1987 को विद्धान्त ही, धर्या गई।

२. राजस्वान विल अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्वान अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा परिष्कारित [30.3.1977 से श्रुत]

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
13.	Application for leave to appeal as a pauper—				
13.	अकिचन के रूप में अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन —				
(i)	when presented to a Court subordinate to the High Court;	One rupee	One rupee.	One rupee	One rupee
(i)	जबकि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय को उपस्थापित किया जाए	एक रुपया	एक रुपया	एक रुपया	एक रुपया
(ii)	when presented to the High Court	Two rupees	Two rupees	Two rupees	Two rupees
(ii)	जबकि उच्च न्यायालय को उपस्थापित किया जाए	दो रुपये	दो रुपये	दो रुपये	दो रुपये
14.	Bail bond or other instrument of obligation given in pursuance of an order made by a Court or Magistrate under any section of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act 5 of 1898) [Now-Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974)] or the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), and not otherwise provided for in this Act.	Seventy five naye paise	One rupee.	One rupee	One rupee
14.	दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का केंद्रीय अधिनियम 5) [अब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम 2)] या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम 5) की किसी धारा के अधीन किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में दिए गए जमानत पत्र (bail bond) या बाध्यता की अन्य लिखत और जिसके बारे में इस अधिनियम में अन्यथा उपस्थापित नहीं है	पचहत्तर नए पैसे	एक रुपया <sup>1</sup>	एक रुपया	एक रुपया
15.	Every copy of power of attorney when filed in any suit or proceeding.	Seventy five naye paise	One rupee.	One rupee	One rupee
15.	पावर आफ अटर्नी की प्रत्येक प्रतिलिपि जबकि किसी वाद या कार्यवाही में फाइल की जाए	पचहत्तर नए पैसे	एक रुपया <sup>1</sup>	एक रुपया	एक रुपया
16.	Mukhtarnama or vakalatnama when presented for the conduct of any one case—				

१. राजस्वान विल अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्वान अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा परिष्कारित [30.3.1977 से श्रुत]

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
16.	मुद्धारनामा या वकालतनामा जबकि किसी एक मामले के संचालन के लिए उपस्थापित किया जाए —				
(a)	to any Civil or Criminal Court other than a High Court or to any Revenue Court, or to any Collector or Magistrate, or other executive officer except such as are mentioned in clauses (b) and (c) of this Article;	Fifty naye paise	One rupee.	Two rupee	One rupee
(क)	उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल या दंडिक न्यायालय को या किसी राजस्व न्यायालय को या किसी कलेक्टर या मजिस्ट्रेट, या अन्य कार्यपालक अधिकारी सिवाय उनके जो कि इस अनुच्छेद के खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित हैं, को	पचास नए पैसे	एक रुपया <sup>१</sup>	दो रुपये <sup>२</sup>	एक रुपया <sup>३</sup>
(b)	to a Commissioner of Revenue, Circuit or Customs or to any officer charged with the executive administration of a Division, not being the Chief Revenue or Executive Authority;	One rupee	One rupee.	Two rupees	One rupee
(ख)	राजस्व सर्किट या सीमा शुल्क के आयुक्त को या सभाग के कार्यपालक प्रशासन का भारसंधन करने वाले किसी अधिकारी जो कि मुख्य निर्वचक राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी नहीं है	एक रुपया	एक रुपया	दो रुपये <sup>२</sup>	एक रुपया <sup>३</sup>
(c)	to a High Court, Chief Commissioner, Board of Revenue, or other Chief Controlling Revenue or Executive Authority.	Two rupees	Two rupees.	Five rupees	Two rupees
(ग)	उच्च न्यायालय, मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner) राजस्व बोर्ड या अन्य मुख्य निर्वचक राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी (Chief Controlling Revenue or Executive Authority) को	दो रुपये	दो रुपये	पाँच रुपये <sup>२</sup>	दो रुपये <sup>३</sup>

१. राजस्व न्यायालय अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्व अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित [30.3.1977 से प्रवृत्त]  
 २. राजस्व न्यायालय अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्व अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिवृत्त संख्यांक एफ. 2(12) विभागी/87 जयपुर अग्रेल 3, 1987 द्वारा उन दोनों तक जो 31.3.1987 को विद्यमान थे, घटाई गई।  
 ३. राजस्व न्यायालय फीस एवं कोर्ट मूल्य (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्व अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)			
		1.11.1961 से	30.3.1977 से	1.4.1987 से	18.5.1987 से
17.	Agreement in writing stating a question for the opinion of the Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908)—				
17.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन न्यायालय की राय के लिए कोई प्रश्न कथित करते हुए लिखित करार				
(i)	in a case where the value of the subject-matter does not exceed Rs. 5,000;	Fifteen rupees	Fifteen rupees.	Fifteen rupees	Fifteen rupees
(i)	किसी मामले में जहाँ विषय वस्तु का मूल्य रुपये 5000/- से अधिक है	पंद्रह रुपये	पंद्रह रुपये	पंद्रह रुपये	पंद्रह रुपये
(ii)	in any other case.	One hundred rupees	One hundred rupees.	One hundred rupees	One hundred rupees
(ii)	किसी अन्य मामले में	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये
18.	Caveat.	Ten rupees	Ten rupees.	Fifty rupees	Ten rupees
18.	केविएट	दस रुपये	दस रुपये	पचास रुपये <sup>१</sup>	दस रुपये <sup>२</sup>

#### Comments

—Sch. II, Art. 3—Court-fee on memo of appeal shall be paid ad valorem.—In an appeal under Section 18(1) ad valorem court-fee is payable on the memorandum of appeal filed against the judgment and decree of the single Judge of High Court, which he passed in exercise of his appellate jurisdiction under Section 96 Civil P. C. The Court-fee payable on such a memorandum of appeal is in accordance with Art. 1, Sch. I of the Act read with Section 47 of the Rajasthan Court fees and Suits Valuation Act (1961). Section 47 of the Act deals with "appeals" and provides that on a memorandum of appeal, the fee payable shall be the same that would be payable in the court of first appeal on the subject-matter of the appeal. So also Art. 1 of Sch. I provides for payment of court-fee, inter alia, on the memorandum of appeal and according to it, the court-fee payable on such appeal is ad valorem. The memorandum of appeal, as used in Art. 1, Sch. I of the

१. राजस्व न्यायालय अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्व अधिनियम 7) (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित और अधिवृत्त संख्यांक एफ. 2(12) विभागी/87 जयपुर अग्रेल 3, 1987 द्वारा उन दोनों तक जो 31.3.1987 को विद्यमान थे, घटाई गई।  
 २. राजस्व न्यायालय फीस एवं कोर्ट मूल्य (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्व अधिनियम 26) (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।



Act also includes memorandum of appeal filed against the judgment of a single Judge passed in exercise of appellate jurisdiction. Art. 3(iii)(2)(a) of Sch. II of the Act would not apply in such case. The words "from an order passed in exercise of appellate jurisdiction" in Art. 3(iii)(2)(a) of Sch. II do not include decree passed in exercise of appellate jurisdiction. Civil Special Appeal No. 3 of 1980, Df-8-5-1981 (Raj) held given per incuriam.—*Mariyam vs. Gulam Mohammed*, AIR 1985 RAJ 143

—Sch. II, Art. 11(j)—**Proviso—Court-fee**—Application for grant of letters of administration—Contentious case—Court-fee payable would be one-half the scale of fee prescribed in Art. 1 of Sch. I on market value of estate less fee already paid on application

A look at the aforesaid proviso demonstrates that the court-fee in contentious case shall be one-half the scale of fee prescribed in Art. 1 of Schedule I on the market value of the estate less the fee already paid on the application.—*Bhagwandas and others vs. Bhawandas and another*, AIR AIR 2000 Raj 67 = 1999 (2) RLW 1046 = 1999 (3) WLC 123 = 1999 (1) WLN 606 = 1999 DNJ (Raj) 379 = 1999 (2) RLR 546.

—Sch. 2, Entry 11(j)—**Probate—Time for recovery of Court-fee**—Court-fee on probate would be leviable by the court only when the probate has been granted and at the rate at which it is payable on the aforesaid date, viz., date of grant of probate and not along with application for probate. If the legislature intended that the entire fees payable on probate should be collected along with application for probate, then it would not have made a provision for the application in Entry 11 (j) of Sch. 2 of the Act and another for probate under Entry 6 in Sch. 1. The two provisions make a clear-cut distinction between court-fees payable on an application for probate and fee payable on grant of probate. There may be instances when the probate petition may not be pressed at all after it has been filed. An applicant would be put to a harsh and avoidable financial burden if he is asked to pay fee on grant of probate, even when he has not pressed his petition. Likewise, there may be instances when an application for probate may be contested as in this case. To ask the petitioner to pay probate fee in full even before the contest has begun is to put the cart before the horse and would be unjust and unduly harsh to the petitioner.—*Vasudeo vs. Lal Singh and others*, AIR 1992 RAJ 133.

—Sch. II, Cl. 11(K)—**Matrimonial vis-a-vis ordinary civil proceedings—Court-fees—Scope**—The Family Courts Act was enacted with an object to set up a forum for settlement of family disputes with due emphasis on conciliation and achieving socially desirable results and further to eliminate the rigid rules of procedure and evidence. The framers of the rules have casually incorporated all sorts of alternatives i.e. plaint or petition or application. In case, the action instituted before the Family Court is taken as a plaint and tried as a suit, the entire purpose of setting up Family Courts will be frustrated. With a view to deal with the action in a matrimonial dispute more quickly different from the procedure adopted in ordinary civil proceedings, the action will have to be taken as instituted on application. Any other

interpretation asking to pay ad valorem Court-fees will operate harshly and tends to price justice out of reach of many distress litigants and destroying the very object of setting-up of the Family Courts. Thus, when a woman and the children ask for the maintenance, the proceedings are to be initiated by way of an application. Section 7 of the Family Courts Act directs that the Family Court shall deal for the purpose of exercising the jurisdiction under the Act to be the District Court or other Subordinate Civil Court for the area to which the jurisdiction of the Family Court exists. Thus, Section 7(1)(f) of the Act takes within its purview a suit or proceeding between the parties to a marriage with respect to the property of the parties or any of them. Since the proceeding before the Family Court commences by way of a petition or an application would be governed by Schedule II of the Rajasthan Court-fees and Suit Valuation Act, 1961. A bare look at Section 22 of the aforesaid Act shows that the said provision is applicable to suits and not applications or proceedings. Since the action instituted by the appellant wife and the children under Sections 18 and 20 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 is a proceeding in view of Section 7(f) and not a Suit, the provisions of Sec. 22 of the Rajasthan Court Fees and Suit Valuation Act has not application.—*Smt. Mamta and others vs. Hari Kishan*, AIR 2004 RAJ 47.

—**Sch. II, Art. 11(m) - Arbitration - Deficit Court fee**—Filing of appeal on a Court fee stamps of Rs. 100/- only, instead of Rs. 250/- Appeal cannot be thrown on sole ground as no objection was taken by office and appellant could be directed to file the deficit Court fee even at appellate stage but the present appeal has been filed on a Court-fee Stamps of Rs. 100/- only, but the appeal cannot be thrown on this ground because no objection was taken by the Office regarding the deficit Court-fee and the appellant can be directed to file the deficit Court-fee even now.—*M/s. Vijay Singh Amar Singh and Co. vs. Hindustan Zinc Limited and others*, AIR 1992 RAJ 82.

## COURT FEE CALCULATION TABLE

*(As per Amended Court Fee and Suits Valuation Act, 1961)*

1000	25	600000	39375	2700000	136625
5000	125	650000	42375	2800000	140125
10000	250	700000	45375	2900000	143625
15000	375	750000	48375	3000000	147125
20000	750	800000	51125	3500000	162125
25000	1125	850000	53875	4000000	177125
50000	3000	900000	56625	5000000	202125
75000	4875	950000	59375	6000000	227125
100000	6625	1000000	62125	7000000	252125
125000	8375	1100000	67125	8000000	277125
150000	10125	1200000	72125	9000000	302125
175000	11875	1300000	77125	10000000	327125
200000	13625	1400000	82125	11000000	347125
250000	17125	1500000	87125	12000000	367125
275000	18750	1600000	91625	13000000	387125
300000	20375	1700000	96125	14000000	407125
325000	22000	1800000	100625	15000000	427125
350000	23625	1900000	105125	16000000	442125
375000	25250	2000000	109625	17000000	457125
400000	26875	2100000	113625	18000000	472125
425000	28500	2200000	117625	19000000	487125
450000	30125	2300000	121625	20000000	502125
475000	31750	2400000	125625	22500000	527125
500000	33375	2500000	129625	25000000	552125
550000	36375	2600000	133125	27500000	577125